

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/10156

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 31.12.25

1 धुडाराम पुत्र भैराराम जाति
जाट निवासी आदर्श बस्ती
नांद तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 अमराराम पुत्र सगराराम 2 आसूराम पुत्र गोमाराम 3
कानूदेवी पत्नि पूराराम 4 चम्पा पत्नि बुधराराम 5 भोमाराम
पुत्र भानाराम 6 भोमाराम पुत्र पूराराम 7 मदाराम पुत्र
भानाराम 8 सेरूदेवी पत्नि भानाराम 9 राजूराम 10 वीराराम
पिसरान तुलसाराम 11 कंवराराम 12 भोमाराम पिसरान
कस्तुराराम 13 मूलीदेवी पत्नि कस्तुराराम जाति जाट
निवासी आदर्श बस्ती नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-688/2025

दिनांक- 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श बस्ती नांद पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 883/353 रकबा 2.0072 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई
करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर
अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/10157 - 10160

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी धुडाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अमराराम पुत्र सगराराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती नांद तहसील व जिला
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

